

पत्र-६
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प राजसमन्द

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राज. कामिनी
व भू.अ.नि. सहमत की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर / नायब
तहसीलदार जिलुष की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कातपुरा तहसील रेलमगर
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2017 में खाता संख्या 72 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	कातपुरा	72	मांगी पुत्री गंगाराम कति <u>केला</u>	मांगी पुत्री गंगाराम कति <u>रेजर</u>

5
पीठारीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

ब्रमांक:- 357
प्रतिदिपि :-

दिनांक :- 11/10/25

1. तहसीलदार रेलमगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री मांगी पुत्री गंगाराम रेजर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

5
पीठारीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,